प्रबन्ध मण्डल की 23 वीं बैठक दिनांक 30–01–2014 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 23 वीं बैठक दिनांक 30–01–2014 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक मे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया	–	अध्यक्ष
2.	श्री नवीन जैन (निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान)	–	सदस्य (गत बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात उपस्थित हुए)
3.	श्री नत्थूराम (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राज. सरकार)	–	सदस्य
4.	प्रो. आर.एन.शर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	–	सदस्य
5.	श्री मनीराम (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)	–	सदस्य
6.	डॉ. विमलेन्दु तायल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	–	सदस्य
7.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
8.	डॉ. कृष्णा राठौड़ (तोमर) (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य (गत बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात उपस्थित हुए)
9.	प्रो. एस.के. भनोत (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
10.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष प्रो. चन्द्रकला पाड़िया, नव–मनोनीत माननीय सदस्यों प्रो. अरविन्द अग्रवाल, डॉ. सजंय नीलकंठराव लखेपाटिल, श्री मनीराम डॉ. कृष्णा राठौड़ (तोमर) एवं पुनः मनोनीत सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल का स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष श्री आनन्द कुमार, निवर्तमान माननीय सदस्यों प्रो. एल.एन. गुप्ता, प्रो. रविन्द्र शर्मा, श्री एम.डी. गौरा, श्री देदाराम द्वारा प्रबन्ध मण्डल में दिये गए सहयोग की सराहना की गई। माननीय सदस्य प्रो. आर.एन. शर्मा ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध मण्डल की बैठक 3 माह में आयोजित होनी चाहिए लेकिन जून, 2013 के पश्चात आज दिनांक को बैठक आयोजित हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में नियमानुसार अतंराल से बैठक कराने का आश्वासन दिया।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

२५/

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/275

प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक दिनांक 07–06–2013 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका हैं। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक दिनांक 07–06–2013 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/276

प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक दिनांक 07–06–2013 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न – पालना प्रतिवेदन

निर्णय :– (i) वेतन संरक्षण संबंधी बिन्दु संख्या मगंसिविबी/बोम–22/2013/269 की पालना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने एक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को वितरित कर अनुरोध किया कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति डीम्ड विश्वविद्यालय से आए कार्मिकों का भी वेतन संरक्षण किया जाना चाहिए। इस संबंध में सदस्य सचिव ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठकों में लिये गए निर्णयों की पालना में डीम्ड विश्वविद्यालय /निजी महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र दिनांक 03–01–2012 के प्ररिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार मार्गदर्शन चाहा गया था। राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक प.8(1)शिक्षा–4/2012 दिनांक 21–11–2013 के द्वारा अवगत कराया कि इस संबंध में समसंख्यक पत्र दिनांक 28–05–2013 के द्वारा स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28–05–2013 के अनुसार वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक F.1(2) FD/ (Rules)/2006- Pt-I dated 21-09-2011 State Government /PSU/Board/Local Autority/Institution" के कर्मचारियों के अन्य राजकीय विभागों PSU/Board/Local Authority/Institution के संदर्भ में है, Deemed Universities व Un-Aided College Teachers इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं होते है। अतः वित्त विभाग का उक्त परिपत्र डीम्ड विश्वविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों से राजकीय विश्वविद्यालयों में सीधी भर्त्ती से चयनित होकर आने वाले कार्मिकों पर लागू नही होता है। "सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.11.2013 एवं 28.05.2013 के अनुसार डॉ. सुरेश कुमार अग्रवाल को वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं हैं।

प्रो. आर.एन. शर्मा एवं डॉ. विमलेन्दु तायल ने इस बात पर आग्रह किया कि वेत संरक्षण प्रकरण विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को विलम्ब से क्यों प्रेषित किया गया औ उसका उत्तर किस प्रकार 15 दिनों के भीतर ही विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया। इ बिन्दु के अन्वेषण के लिए एक जॉच समिति की गठित की जावें। विचार–विमर्श उपरान प्रबन्ध मण्डल की सर्वसम्मति से एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य प्रो. आर.एन शर्मा व डॉ. विमलेन्दु तायल को बनाया गया।

माननीय सदस्य प्रो. आर.एन. शर्मा एवं डॉ. विमलेन्दु तायल ने मत व्यक्त किया वि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48 के अनुसार इस विश्वविद्यालय मे म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम लागू हैं। उक्त दोनो सदस्यों ने राज्य सरका द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को अवांछित बताते हुए म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमानुसार वेतन संरक्षित करने का सुझाव दिया तथा मत व्यक्त किया कि प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस बिन्दु पर उपस्थित सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का अनुरोध किया। माननीय सदस्य श्री नत्थुराम, प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, कुलसचिव (सदस्य सचिव) ने माननीय सदस्य प्रो. आर.एन.शर्मा एवं डॉ. विमलेन्दु तायल के मत से असहमति (Dissent) व्यक्त की। माननीय सदस्य निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं डॉ. कृष्णा राठौड़ (तोमर) उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के समय सदन में उपस्थित नहीं थे। शेष सदस्यों द्वारा वेतन संरक्षण के मत से सहमति व्यक्त की गई।

तदुपरांत प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने का बहुमत से निर्णय लिया गया।

(ii) बिन्दु संख्या मगंसिविबी/बोम–21/259 की पालना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को मोबाईल व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(4)शिक्षा–4/2004 पार्ट दिनांक 04–06–2013 एवं 11–07–2013 के द्वारा प्राप्त आपत्ति के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। माननीय सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल जो विश्वविद्यालय खेलबोर्ड के अध्यक्ष हैं, ने अवगत कराया कि खेल विभाग कार्यालय में टेलीफोन उपलब्ध नहीं है तथा अन्तर विश्वविद्यालयीय व अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को विभिन्न स्तर पर वार्ताएँ करनी होती हैं। प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्य की प्रकृति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 03–01–2013 के अनुसार मोंबाईल बिल व्यय का पुनर्भरण करने एवं तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया।

(iii) बिन्दु संख्या मगंसिविबी/बोम–21/2013/261 की पालना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य प्रो. एस.के. भनोत ने सदन को अवगत कराया कि स्नातकोत्तर विभागों में शोध अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के लिए मानदेय निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 20(4)शिक्षा–4/2004 पार्ट जयपुर दिनांक 04–06–2013 में वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त न होने की आपत्ति अंकित होने के कारण समिति द्वारा अनुशंसा प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि समिति ने प्रारम्भिक बैठक कर अन्य विश्वविद्यालयों से अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय के संबंध में आदेशों की प्रति प्राप्त कर ली हैं।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस बाबत गठित समिति अपनी बैठक आयोजित कर अन्य विश्वविद्यालयों में दिये जा रहे मानदेय के अनुसार अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करे।

उपरोक्त संशोधन के साथ प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के पालना प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : मगंसिविबी/बोम–23/2013/277

विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 25 सेवानिवृत्त कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने की स्वीकृति बाबत्।

विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों/विभागों में कार्मिकों की अत्यधिक कमी के कारण परीक्षा, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के समयबद्ध निस्तारण में हो रही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । विश्वविद्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से रिक्त 27 पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं ली जा रही है । विभिन्न अनुभागों/विभागों से निरन्तर कार्मिकों की मांग की जा रही है किन्तु नियमित/सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण पदस्थापन नहीं किया जा सकता । विभिन्न अनुभागों/विभागों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 25 सेवानिवृत्त कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 20163 दिनांक 13.12.2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

कार्मिकों की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कुलपति महोदया ने कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ दिनांक 15.01.2014 को बैठक की । परीक्षा नियंत्रक ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति से रिक्त पदों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं ले ली जावें। पूर्व में भी प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति से स्वीकृत/रिक्त पदों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं ली जाती रही हैं। इस संबंध में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक ने विमत प्रकट करते हुए अवगत कराया कि रिक्त पदों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं लिया जाना उचित नहीं है क्योंकि पूर्व में इस बाबत् ए.जी. ऑडिट द्वारा आक्षेप लिए गए है तथापि विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण उपरान्त कुछ आक्षेप निरस्त भी किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत कर्मियों को स्थिर पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से ही किया जाता है तथा राज्य सरकार से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नही होता है। उक्त सभी बिन्दुओं पर परस्पर विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कमी एवं कार्य की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में तत्काल 10 अतिरिक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं लिये जाने का निर्णय लिया गया । तद्नुसार 10 सेवानिवृत कर्मियों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः विश्वविद्यालय में कार्य की अधिकता एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की अत्याधिक कमी को देखते हुए स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 25 सेवानिवृत कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने एवं प्रबंध मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 07–06–2013 के विनिर्णय संख्या 260 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति से

गोपनीय शाखा में कार्यरत (65 वर्ष से अधिक आयु के) दो सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं परीक्षा–2014 के कार्य सम्पन्न होने अथवा आगामी आदेश तक (जो भी पहले हो) निरन्तर रखने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय में कार्य की अधिकता एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की अत्याधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के अतिरिक्त 25 सेवानिवृत कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृत से विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में 65 वर्ष से अधिक आयु के दो सेवानिवृत कार्मिक श्री अनूप सिंह एवं श्री शंकर लाल गहलोत की सेवाएं परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा अनुसार परीक्षा 2014 के कार्य सम्पन्न होने तक निरन्तर रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/278

विश्वविद्यालय में नवीन अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित पत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में निरन्तर शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्यो में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न विभागों/अनुभागों में कार्य के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का आकलंन कर औचित्यता सहित प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 9596 दिनांक 25–11–2013 (प्रति संलग्न) के द्वारा कुल 235 पदों की स्वीकृत हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय में नवीन अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित पत्र अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श कर राज्य सरकार को प्रेषित पत्र का अनुमोदन किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में नवीन पदो के सृजन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 25–11–2013 क्रम में उप कुलसचिव के अतिरिक्त 03 पद एवं जनसम्पर्क अधिकारी के एक पद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय में पदस्थापित किसी भी प्रोफेसर/एसोसियट प्रोफेसर को अतिरिक्त कार्यभार देने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/279

विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक पदों की भर्त्ती में कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर भर्त्ती हेतु प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक दिनांक 11–08–2011 के विनिर्णय संख्या 167 के अनुसार निर्धारित भर्त्ती प्रक्रिया एवं इस संबंध में जारी आदेश क्रमांक 26021–35 दिनांक 03–10–2011 (छायाप्रति संलग्न) में कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्णांक का उल्लेख नही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य संस्थानों द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद हेतु कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान है। इसी आधार पर वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर भर्त्ती के दौरान हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 18 अंक (पूर्णांक का 36 प्रतिशत) निर्धारित किये गए थे। विश्वविद्यालय में

कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर भर्त्ती हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है। राजस्थान लोक सेवा आयो में हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में पृथक–पृथक रूप से न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित है।

द्वितीय, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियम 22 एवं 32 (जो इ विश्वविद्यालय में लागू हैं) के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के 20 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचा पदस्थापित नही है। इसलिए कनिष्ठ लिपिक के समस्त रिक्त पद सीधी भर्त्ती से भरे जाने की कार्यवा प्रक्रियाधीन है। पूर्व में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थापित नही होने के कारण कनिष्ठ लिपिक के स रिक्त पद सीधी भर्त्ती से भरे गए थे।

अतः कनिष्ठ लिपिक पद पर भर्त्ती हेतु कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित कर एवं समस्त रिक्त पद सीधी भर्त्ती से भरे जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णया प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श कर राजस्थान लो सेवा आयोग एवं अन्य संस्थानों में कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्णांक के प्रावधा अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में सम्मिलित रूप से कम से कम प्रतिशत अंक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार कनिष्ठ लिपिक भर्त्ती हे जारी किये जाने वाले विज्ञापन में न्यूनतम उत्तीर्णांक का उल्लेख किया जावे। साथ ह विश्वविद्यालय में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थापित न होने के कारण कनिष लिपिक के सभी रिक्त पदों को सीधी भर्त्ती से भरे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिय गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/280

विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा में नेत्रहीन एवं विकलांग परीक्षार्थियों के समान ह श्रवण/मूक बधिरता (Speech or hearing defects) परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिर जाने हेतु प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्राधीक्षकों के लिए जारी अनुदेश 2013 के नियम 12(2) के अनुसा नेत्रहीन परीक्षार्थी को एक घण्टे एवं विकलांग परीक्षार्थी, जिनके लिखने वाले हाथ अथवा अंगुलियों में कोई कमी है व जिसे श्रुतिलेखक नहीं दिया गया है, उन्हें आधे घण्टे का अतिरिक्त समय दिये जाने क प्रावधान है। चूकिं श्रवण/मूक बधिरता (Speech or hearing defects) से ग्रसित परीक्षार्थियों क मनोस्थिति भी सामान्य छात्र से भिन्न होती है तथा इन्हें Persons With Disability Act 1995 के द्वार अनेक अधिकार दिये गए हैं। चूकिं श्रवण/मूक बधिर छात्रों में भाषा का अधूरा विकास होने के कारण ऐसे छात्रों के मस्तिष्क में वाक्य प्रन्यास (Sentence Structure) तैयार होने में सामान्य छात्रों की अपेक्ष अधिक समय लगता है। ऐसे छात्रों; श्रवण/मूक बधिरता (Speech or hearing defects)) को दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (CBSE) द्वारा उनके नोटिफिकेशन कमश दिनांक 09.11.2011 एवं 02.01.2009 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा परीक्षा में अतिरिक्त समय दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय में भी माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश से श्रवण/मूक बधिर छात्र को अतिरिक्त समय दिये जाने का निर्देश प्रदान किया है।

अतः Persons With Disability Act 1995 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित Rajasthan Persons With Disability Act 1995 (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Rules, 2011 की भावनाओं का सम्मान करते हुए अन्य विकलांग परीक्षार्थियों के समान श्रवण/मूक बधिरता (Speech or hearing defects) से ग्रसित परीक्षार्थियों को भी परीक्षा हेतु अतिरिक्त

आधे/एक घण्टे का समय दिये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मंडल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तु है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्रवण/मूक बधरित (Speech or hearing defects) से ग्रसित परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं ' नेत्रहीन एवं विकलांग परीक्षार्थियों के समान ही 30 मिनट का अतिरिक्त समय देने क सर्वसम्मत निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/281

अधीनस्थ लेखा संवर्ग में वेतन (–) पेंशन पर संविदात्मक सेवाए लेन हेतु प्रस्ताव

अधीनस्थ लेखा संवर्ग में इस विश्वविद्यालय में एक सहायक लेखाधिकारी, एक लेखाकार व चा कनिष्ठ लेखाकार के पद स्वीकृत है। इसमें से वर्तमान में केवल एक लेखाकार ही पदस्थापित है। ए सहायक लेखाधिकारी व चार कनिष्ठ लेखाकार के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े है केवल एक वि नियंत्रक व एक लेखाकार के सहारे इतने बड़े विश्वविद्यालय में लेखा एवं वित्त सम्बन्धी कार्यो व निष्पादन में काफी कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर क इन पदों पर लेखाकर्मियों का पदस्थापन्न करने हेतु लिखा जा चुका है लेकिन अभी तक इन पदों प कोई पदस्थापन्न नहीं हुआ है। इस हेतु लेखाकर्मियों को संविदा पर (6000/– प्रतिमाह पर) लगाने हे विज्ञप्ति भी जारी की गई थी परन्तु कोई भी लेखाकर्मी इस वेतन पर कार्य करने को तैयार नहीं है राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 दिनांक 08.01.2011 के द्वारा सेवानिवृ लेखाकर्मियों को पे(–) पेंशन के आधार पर पुर्ननियुक्ति दी जा सकती है। राजस्थान पशु एवं कृ विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में भी पे(–) पेंशन में लेखाकर्मियों की नियुक्ति की गई है। अतः ज तक उपरोक्त लेखाकर्मियों के पद भरे नहीं जाते है तब तक पे(–) पेंशन पर चार सेवानिवृत कनिष लेखाकार व एक सेवानिवृत सहायक लेखाधिकारी की संविदात्मक सेवा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में लेखा संवर्ग के स्वीकृत पदों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति न होने तक राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 दिनांक 08.01 2011 के प्रावधानुसार विश्वविद्यालय में सेवानिवृत एक सहायक लेखाधिकारी एवं चा कनिष्ठ लेखाकार की पे – पेंशन पर संविदात्मक सेवा लेने का प्रबन्ध मण्डल द्वार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/282

विश्वविद्यालय परिसर में 11केवी/0433 सबस्टेशन निर्माण, कुलपति तथा कुलसचिव आवा निर्माण कार्य सम्बन्धित प्रस्ताव

विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन लाईब्रे भवन, अतिथि भवन, एकेडमिक भवन, कैंटीन, खेल प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका तथा नये एकेडमिक भवन, नये परीक्षा भवन, कार्यालय निदेशक शोध, डीन स्टूडेंट वेलफेयर का निर्मा कार्य प्रगति पर है। भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य भवनों का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा। इ सभी भवनों के विद्युत भार को देखते हुए वर्तमान में विद्युत क्षमता बहुत कम है। इस सम्बन्ध कार्यकारी संस्था आर एस आर डी सी के सहायक अभियंता को मौका मुआयना कराने पर उन्होंने य राय दी कि इन भवनों से वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की दूरी अधिक होने के कारण भवनों में सुचारू रूप विद्युत प्रवाह नहीं हो पा रहा है। विद्युत प्रवाह सुचारू रूप से रखने के लिए विद्युत सबस्टेशन 11 केवे

के स्थापित किये जाने से इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। इस पर अनुमानित व्यय 51.09 लाख आने की संभावना है।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 11 की उपधारा के अन्तर्गत कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास उपलब्ध करवाया जाना है। अतः कुलपति निवास हेतु फॉरकास्ट ऐस्टिमेट के अनुसार 114 लाख रू. व्यय होने की संभावना है।

विश्वविद्यालय परिसर बीकानेर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ही आवास निर्मित करवाये जाने हैं। प्रथम चरण में कुलपति आवास के अतिरिक्त कुलसचिव आवास के निर्माण हेतु फॉरकास्ट ऐस्टिमेट के अनुसार 68.30 लाख रू व्यय होने की संभावना है।

तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय द्वारा पत्रावली पर दिनांक 03.10.2013 को दिये गये निर्देशों की पालना में उक्त तीनों कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक बजट प्रावधान रखने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार की बजट निर्णयाक समिति बैठक दिनांक 01/01/14 में वित्तीय वर्ष 2014–15 की योजना मद में उक्त तीनों निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 233.39 लाख रू. स्वीकृत करने पर सहमति दी है।

अतः उक्त तीनों निर्माण कार्य राज्य सरकार के योजना मद की राशि से करवाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों के साथ इण्डोर स्टेडियम, डाकघर भवन एवं छात्र सुविधा भवन (फोटो स्टेट, बुक/स्टेशनरी स्टोर आदि) को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट प्रावधानों में रखा जावें।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/283

विश्वविद्यालय परिसर में नये परीक्षा भवन एवं पुराने परीक्षा भवन के मध्य रैम्प तथा नवनिर्मित सड़क के किनारे पर पिचिंग के निर्माण कार्य सम्बन्धित एजेण्डा नोट

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नवनिर्मित एकेडमिक ब्लॉक एवं पुस्तकालय के मध्य नवनिर्मित सड़क तथा पुस्तकालय भवन के चारों तरफ बनाई गई नवनिर्मित सड़क किनारों पर बारिश के पानी से कटाव हो गये हैं। नवनिर्मित सड़क के पार्श्वढाल को पत्थर की पिचिंग द्वारा सुरक्षित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस हेतु RSRDC से पत्थर की पिचिंग कार्य का तकमीना एवं एस्टीमेट चाहा गया था। RSRDC ने अपने पत्र संख्या 957 दिनांक 12–08–2013 द्वारा उक्त कार्य का तकमीना प्रस्तुत कर इस पर 17.32 लाख रू. खर्च होने का अनुमान बताया है।

नये निर्माणाधीन परीक्षा भवन तथा पुराने परीक्षा भवन के मध्य परीक्षा सामग्री यथा – उत्तर पुस्तिकाएं इत्यादि के परिवहन कार्य में लगे वाहनों के सुगम आवागमन के लिए रेम्प की अत्यन्त आवश्यकता है। परियोजना निदेशक, RSRDC बीकानेर ने अपने पत्र संख्या 1669 दिनांक 11–11–2013 द्वारा प्रस्ताव किया है कि PWD, Bikaner – BSR 2013 की दरों से यह कार्य पूर्वानुमान के अनुसार Covered Ramp 60 लाख रू. में पूर्ण करवाया जा सकता है।

माननीय कुलपति महोदया के निर्देशों की पालना में परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी, बीकानेर को विश्वविद्यालय के पत्रांक 17720 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा उक्त दोनों निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है।

अतः संदर्भित आदेश प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/284

विभिन्न महाविद्यालयों की लम्बित अस्थाई सम्बद्धता संबंधी अभिवृद्धि एवं आरोपित शास्ति के संबंध में पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो (योग्यताधारी व्याख्याताओं) के पूर्ति नही किये जाने के कारण प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 के विनिर्णय संख्या 195 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार महाविद्यालयों पर शास्ति आरोपित की गई :–

विवरण	जिन महाविद्यालयों पर सत्र 2011–12 से पूर्व एक या अधिक बार शास्ति आरोपित हो चुकी है	जिन महाविद्यालयों पर सत्र 2011–12 से पूर्व शास्ति आरोपित नहीं हुई है	
		प्रथम बार	द्वितीय बार
(1) योग्यता धारी व्याख्याताओं की स्थिति			
अ. 50 प्रतिशत से कम होने पर	2.00 लाख रु.	1.00 लाख रु.	2.00 लाख रु.
ब. 50–75 प्रतिशत तक	1.00 लाख रु.	50,000/–रु.	1.00 लाख रु.
(2) एण्डोमेंट फण्ड का निर्माण न करने पर	वांछित एण्डोमेट फण्ड के समान राशि	50,000/–रु.	वांछित एण्डोमेट फण्ड के समान राशि

इसी के साथ महाविद्यालय द्वारा आधारभूत सुविधाएं यथा मानदण्डानुसार भूमि, भवन, पुस्तकालय प्रयोगशाला, योग्यताधारी प्राचार्य, विद्यार्थी सुविधाएं, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को देय वेतन–भत्ते खेलकूद सुविधाएं भी आवश्यक है। इन सुविधाओं की पूर्ति नहीं होने पर महाविद्यालय के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 के द्वारा निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिए गए :–

(1) <u>भूमि/भवन</u> :– विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को स्वयं के भवन निर्माण के लिए प्रथम व सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने के साथ–साथ तीन वर्ष की अवधि में भवन निर्माण करने हेतु निर्देशित किया जावें।

साथ ही पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त जिन महाविद्यालयों के पास स्वयं की भूमि एवं भवन नहीं हैं ऐसे महाविद्यालयों पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया –

(1) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 3 वर्ष या अधिक अवधि (6 वर्ष से कम) हो गई – 2.00 लाख रूपये।

(2) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 6 वर्ष या अधिक अवधि (8 वर्ष से कम) हो गई – 3.00 लाख रूपये।

(3) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 8 वर्ष या अधिक अवधि हो गई –5.00 लाख रूपये।

यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार शास्ति आरोपण के साथ ही आगामी एक वर्ष में महाविद्यालय को निर्धारित मापदण्डानुसार भवन निर्माण हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

शास्ति आरोपण के उपरान्त भी जिन महाविद्यालयों द्वारा एक वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर भवन निर्मित नहीं किया जाता है तो उन महाविद्यालयों के विरूद्व कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।

(2) योग्यताधारी प्राचार्य :– सम्बद्वता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को 31 दिसम्बर, 2012 तक योग्यताधारी प्राचार्यो की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। 31–12–2012 तक योग्यताधारी प्राचार्य की नियुक्ति नही करने पर महाविद्यालय पर रू.1.00 लाख की शास्ति तथा 30 जून, 2013 तक भी नियुक्ति नही करने पर रू. 2.00 लाख की शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को निर्देशित किया जावे कि निर्धारित चयन प्रक्रिया से योग्यताधारी प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कर यथाशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदन करावें। महाविद्यालय में नियुक्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की सेवाओं को विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकेगा। महाविद्यालय प्रबन्धन अथवा प्राचार्य/शिक्षक द्वारा सेवा समाप्ति से पूर्व 3 माह की अवधि का लिखित में नोटिस देना अनिवार्य होगा।

(3) अन्य सुविधाएं – समस्त सम्बद्वता प्राप्त महाविद्यालय को निर्धारित मापदण्डानुसार पुस्तकालय, लैब, खेलकूद मैदान एवं लेखों का संधारण आदि की व्यवस्था को 30 जून, 2013 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित कया जावें।

उक्त निर्णयों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों पर शास्ति आरोपित की गई जिसकी सूची प्रस्तुत है। सूची में अंकित महाविद्यालयों द्वारा आरोपित शास्ति जमा नही करवाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा सूची में अंकित सत्रानुसार महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्वता प्रदान नही की गई है जिससे कि आज दिनांक तक सूची में अंकित महाविद्यालयों के सम्बद्वता संबंधी प्रकरण विचाराधीन लम्बित है।

निजी महाविद्यालयों के संगठनों द्वारा आरोपित शास्ति के संबंध मे तत्कालीन कुलपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। उक्त ज्ञापन को प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक दिनांक 07–06–2013 को प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या 267 की पालना में निजी महाविद्यालयों द्वारा योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति/भवन/भूमि एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में सम्बद्वता शर्तो की पूर्ति नहीं करने पर शास्ति आरोपण के संबंध में विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों/प्रतिवेदनों का परीक्षण कर रिपोर्ट/अनुशंसा तैयार करने हेतु तीन सदस्यीय प्रबन्ध मण्डल समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्यता के संबंध में जारी नोटिस संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त आरोपित शास्ति जमा नही करवाने एवं निजी महाविद्यालय संगठन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर निर्णय न होने के कारण महाविद्यालयों को सम्बद्वता प्रदान नही की गई लेकिन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बिना सम्बद्वता प्रदान किये महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2013 आयोजित करवाई जा चुकी है तथा परीक्षा 2014 आयोजित करवाई जानी शेष है।

अतः महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्वता अभिवृद्धि एवं आरोपित शास्ति के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष गहन विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.03.2012 एवं बैठक दिनांक 18.10.2012 के निर्णयानुसार आरोपित शास्ति, शास्ति वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही विभिन्न महाविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालय संगठन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन आदि पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष महोदया ने अवगत कराया कि विभिन्न महाविद्यालयों ने बार–बार भर्त्ती आवेदन आमंत्रण के बावजूद भी इस क्षेत्र में (विशेष कर तहसील व ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में) योग्यताधारी व्याख्याता एवं अनुभवी प्राचार्य उपलब्ध नहीं होने, संसाधनों की सीमितता एवं शास्ति राशि की अधिकता के

कारण शास्ति जमा कराने में असमर्थता जताते हुए शास्ति में छूट प्रदान करने व अनुरोध किया है। अध्यक्ष महोदया ने शास्ति वसूली में हो रही कठिनाई के कार सम्बद्धता प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब सहित अन्य व्यवहारिक कारणों व दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालयों पर भूमि/भवन मद में पूर्व में आरोपित शास्ति व सत्र 2012–13 से निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

(1) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 3 वर्ष या अधिक अवधि (6 व से कम) हो गई – 1.00 लाख रूपये।

(2) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 6 वर्ष या अधिक अवधि (8 व से कम) हो गई – 2.00 लाख रूपये।

(3) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 8 वर्ष या अधिक अवधि हो गई – 3.00 लाख रूपये।

माननीय सदस्य श्री नवीन जैन ने राज्य सरकार की भांति एमनेस्टी स्कीम तहत एक निर्धारित अवधि (31.03.2014) तक शास्ति राशि जमा कराने प भूमि/भवन में आरोपित शास्ति राशि में छूट प्रदान करने का सुझाव दिया जिस सदन ने सहमति प्रकट की।

पूर्व में निर्धारित शास्ति जमा न करवाये जाने को गंभीरता से लेते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा महाविद्यालयों को 31 मार्च, 2014 तक उपरोक्तानुसार पुनर्निर्धारि शास्ति जमा कराने का निर्णय लिया गया। 31 मार्च, 2014 तक शास्ति राशि ज कराने वाले महाविद्यालयों की अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि की जावे। जि महाविद्यालयों द्वारा 31 मार्च, 2014 तक शास्ति राशि जमा नही करवाई जाती है, उ महाविद्यालयों को नोटिस जारी कर आगामी सत्र 2014–15 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु निर्देशित करते हुए ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता निरस्त करने व कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत कि जावे।

प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक में लिये गए निर्णयानुसार गठित समिति द्वा प्रस्तुत रिपोर्ट को सत्र 2013–14 के स्थान पर सत्र 2014–15 के लिए स्वीकार कर हुए रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं के आधार पर शास्ति आरोपित करने का निर्णय लि गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/285

विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय अग्रिम ऋण की सुवि प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव

भवन निर्माण एवं वाहन क्रय ऋण के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनां 17/12/2011 के आईटम संख्या 181 (ii) के निर्णय में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक को इ सम्बन्ध में विस्तृत विवरण यथा वेतन श्रृंखला वार ऋण की राशि, पुनर्भुगतान की अवधि, ऋ स्वीकृति की प्रक्रिया लेखों के रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव तैयार कर प्रब मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्णय की पालना में समय–समय पर बैठक आयोजित कर विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में महा दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही, नियमों ए

ब्याज दरों की जानकारी ली गई। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से इस सम्बन्ध में पत्र क्रमांक एफ–6()विवले/मदसविवि/2012/3683 दिनांक 08.12.2012, पत्रांक एफ–6()विवले–।।/मदसविवि/2005/3996 दिनांक 25.07.2005 एवं पत्रांक No. F(82)MDSU/A&F-II/10/286 दिनांक 07.01.2010 प्राप्त हुए।

इन पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के द्वारा अपने कार्मिकों/अधिकारियों को भवन एवं वाहन अग्रिम विश्वविद्यालय के बजट, वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियम 113 से 137 में उल्लेखित स्वीकृति की प्रक्रिया, पुनर्भुगतान की अवधि, उद्देश्य आदि के तहत दिया जा रहा है। इन्हीं नियमों में इन अग्रिम राशि के लेखों के संधारण सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश भी दिये हुए हैं। चूंकि इस विश्वविद्यालय में जब तक स्वयं के नियम–परिनियम नहीं बन जाते तब तक महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम प्रभावी रहेंगे, को दृष्टिगत रखते हुए इस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम राशि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के बजट, वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया से दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

भवन निर्माण एवं वाहन अग्रिमों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दरें, म.द.स.वि, अजमेर की ब्याज दरें एवं समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :–

भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज दरों का तुलनात्मक विवरण एवं समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित ब्याज दरें–

क्र. सं.	अग्रिम राशि	म.द.स.वि, अजमेर की वार्षिक साधारण ब्याज दर दि.13.01.2013 से प्रभावी	राष्ट्रीयकृत बैंक (पीएनबी) की वार्षिक ब्याज दर	समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित वार्षिक साधारण ब्याज दर
1.	रू. 50,000 तक	8.50%	10.25%	8.50%
2	रू. 50,000 से 1,50,000 तक	9.00%	10.25%	9.00%
3	रू. 1,50,000 से 5 लाख तक	10.00%	10.25%	10.00%
4	रू. 5 लाख से अधिक	11.00%	10.25%	10.25%

उक्त दोनों अग्रिमों पर दण्डनीय ब्याज दर 12.00 प्रतिशत मदसवि, अजमेर की भांति लागू किया जाना प्रस्तावित है।

वाहन अग्रिम पर ब्याज दरों का तुलनात्मक विवरण एवं समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित ब्याज दरें –

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	म.द.स.वि, अजमेर की वार्षिक साधारण ब्याज दर दिनांक 14.11.1994 से प्रभावी	राष्ट्रीयकृत बैंक (पीएनबी) की वार्षिक ब्याज दर	समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित वार्षिक साधारण ब्याज दर
1.	For Purchase of New Motor Car or Jeep	15.00%	10.65%	10.50%
2	For Purchase of Scooter/ Motor cycle/ Moped/ Auto cycle	11.50%	12.25%	11.50%
3	For Purchase of cycle	9.00%		9.00%

Ceiling of the House Building Advance: -

छठा वेतन आयोग लागू होने से वेतनमानों में संशोधन होने के कारण विश्वविद्यालय कर्मचारीगण/ अधिकारीगण/शिक्षकगण को भवन निर्माण अग्रिम की सीमा राशि वेतन श्रेणीवार मदसविवि, अजमेर की भांति निम्नानुसार संशोधित की जानी प्रस्तावित है –

क्र. सं.	मदसवि, अजमेर के बजट लेखा नियम 1997 के नियम 114(D) जो वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में लागू हैं		वर्तमान में मदसवि, अजमेर में दिनांक 07/01/2010 से प्रभावी	
	Category	Limit	Category	Limit
1	For Employees drawing pay upto Rs. 2700/- p.m.	Rs. 3.00 Lacs	For Employees drawing pay upto Rs. 10000/- p.m.	Rs. 8.00 Lacs
2	For Employees drawing pay upto Rs. 4500/- p.m.	Rs. 5.00 Lacs	For Employees drawing pay upto Rs. 25000/- p.m.	Rs. 14.00 Lacs
3	For Employees drawing pay Above Rs. 4500/- p.m.	Rs. 6.00 Lacs	For Employees drawing pay Above Rs. 25000/- p.m.	Rs. 20.00 Lacs

Ceiling of the Conveyance Advance: -

मदसविवि, अजमेर द्वारा कर्मचारीगण/अधिकारीगण/शिक्षकगण को विश्वविद्यालय वाहन अग्रिम की वेतन श्रेणीवार राशि की सीमा निम्नानुसार है :–

Sr. No.	Kind of Conveyance	मदसवि, अजमेर के बजट लेखा नियम 1997 के नियम 125 जो वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में लागू हैं		मदसवि, अजमेर में दिनांक 25.07.2005 से प्रभावी
		Category of employee drawing basic pay	Amount of advance	Amount of advance
1.	For Purchase of New Motor Car or Jeep	Rs. 10500/- p.m. and Above	11 months pay OR Rs 1.80 Lac OR 80% of the actual price of motor car whichever is less	15 months pay OR Rs 3.00Lac OR 80% of the actual price of motor car whichever is less
2	For Purchase of Scooter/ Motor cycle/ Moped/ Auto cycle	Rs. 2650/- p.m. and Above	6 months pay OR Rs 30,000/- OR 80% of the actual price Scooter/ Motor cycle/ Moped/ Auto cycle whichever is less	10 months pay OR Rs 50,000/- OR 80% of the actual price Scooter/ Motor cycle/ Moped/ Auto cycle whichever is less

छठा वेतन आयोग लागू होने के कारण समिति द्वारा वाहन अग्रिम के उक्त नियम प्रस्तावित संशोधन –

Sr. No.	Kind of Conveyance	Category of employee drawing basic pay	Amount of advance
1.	For Purchase of New Motor Car or Jeep	Rs. 23700/- p.m. and Above	11 months pay OR Rs 4.00 Lac OR 80% of the actual price of motor car whichever is less
2	For Purchase of Scooter/ Motor cycle / Moped / Auto cycle	Rs. 8000/- p.m. and Above	6 months pay OR Rs 50,000/- OR 80% of the actual price Scooter/ Motor cycle/ Moped/ Auto cycle whichever is less

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त दोनों अग्रिमों की शेष शर्तें मृदसवि, अजमेर के बजट, लेख एवं वित्तीय नियम 1997 के अनुसार पूर्ववत रखे जाने के साथ विश्वविद्यालय की स्वयं की आ से भवन एवं वाहन अग्रिम दिये जाने हेतु समुचित बजट प्रावधान रखते हुए नया मद 'खो जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श कर कुलसचिव ए वित्त नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय में नियमित रूप से पदस्थापि कार्मिकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति स अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/286
विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक पद हेतु निर्धारित अर्हताओं के संबंध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रक पद हेतु प्रथम बार जारी विज्ञापन संख्या 01/2005 (छायाप्रति संलग्न) में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई थी :– :–

Essential Qualification:

a. Atleast a second class post graduate degree and,
b. Atleast 10 year experience of conducting University examination and other allied work at the executive level and having record justifying entrusting of confidential work. OR
Atleast 8 years of administrative experience in a position involving supervision, control and planning. OR
Atleast 8 year of post graduate teaching experience.

म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 14 Schedule-III A-I(e), जो इस विश्वविद्यालय में प्रभावी हैं, के अनुसार परीक्षा नियंत्रक पद हेतु निर्धारित अर्हताएं निम्नानुसार है:–

Essential Qualification:

a. Atleast a second class post graduate degree and,
b. Atleast 10 year experience of conducting University examination and other allied work at the executive level and having record justifying entrusting of confidential work. OR
Atleast 8 years of administrative experience in a position involving supervision, control and planning.

परीक्षा नियंत्रक पद हेतु प्रथम बार विज्ञापित अर्हताओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त विज्ञापन संख्या 01/2010 जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गए थे। उक्त विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदकों में से साक्षात्कार के दौरान कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया। तत्पश्चात् इन्हीं अर्हताओं के अनुसार विज्ञापन संख्या 03/2011 जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है तथा भर्त्ती प्रक्रियाधीन है।

विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या 159 दिनांक 13–1–2014 (छायाप्रति सलंग्न) में परीक्षा नियंत्रक पद हेतु जारी विज्ञापन संख्या 3/2011 में म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधानुसार अर्हताओं के अतिरिक्त 'अथवा' के रूप में अंकित " Atleast 8 year of post graduate teaching experience" को नियमानुकूल नही होने के कारण पुनः विज्ञापन जारी करने की मांग की है।

अतः परीक्षा नियंत्रक पद हेतु विज्ञापित अर्हताओं के आधार प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार भर्त्ती प्रक्रिया जारी रखी जावे अथवा "Atleast 8 year of post graduate teaching experience.'' की वैकल्पिक अर्हता समाप्त कर पुनः विज्ञापन जारी किया जावे।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श कर परीक्षा नियंत्रक पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित योग्यता के अनुसार प्राप्त आवेदनों की चयन प्रक्रिया की कार्यवाही सम्पन्न करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/287

शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि में शिथिलन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय अध्यादेश O-124 के अनुसार शोधार्थी को शोध कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि में शोध ग्रंथ (Thesis) विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होता है। इस अवधि में उचित कारणों से कुलपति महोदय द्वारा एक वर्ष की अभिवृद्धि की जा सकती है। निम्नलिखित चार शोधार्थियों ने 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अपने शोध ग्रंथ विश्वविद्यालय में जमा नही कराए है :–

क्र.स.	शोधार्थी का नाम	विषय
1	श्री मदन प्रकाश झा	भू–गर्भ शास्त्र
2	सुश्री ममता जैन	अर्थशास्त्र
3	श्री वेद प्रकाश	वनस्पति शास्त्र
4	श्री महेन्द्र सिंह थोरी	समाजशास्त्र

उक्त शोधार्थियों ने अपने शोध निदेशकों के माध्यम से शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु अनुरोध किया है जो निर्धारित अवधि (5+1 वर्ष) समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नही है। तथापि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 (Hand Book Part-II, Vol.-1, Jaipur 1990) के अनुसार ऐसे अभ्यार्थियों के पुनः पंजीयन का प्रावधान है तथा पुनः पंजीयन की दो वर्ष की अवधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 की छायाप्रति संलग्न है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 के अनुसरण में उक्त शोधार्थियों को विशेष प्रकरण के रूप में पुनः पंजीयन की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श कर अध्यादेश में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर तद्नुसार कार्यवाही करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–23/2013/288

दो राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर (हिन्दी) स्तर पर क्रमोन्नत एवं एक राजकीय महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर दो विषयों में अस्थाई नवीन सम्बद्धता जारी करने के आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव

राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार सत्र 2013–14 से निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(415)आयो/निकाशि/क्रमोन्नत/ 2013–14/58 दिनांक 23–08–2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार की दो राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई :–

(1) राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू)
(2) राजकीय महाविद्यालय, नोखा (बीकानेर)

इसी प्रकार सत्र से निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(14) लेखा/निकाशि/07/पार्ट/1056 दिनांक 29–07–2013(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत सत्र 2013–14 से स्नातक स्तर पर नवीन विषय पंजाबी एवं भूगोल (ऐच्छिक) प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2013–14 में विश्वविद्यालय से अस्थाई नवीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना ही राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश प्रदान कर दिये गए। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु राज्य सरकार से जारी स्वीकृति एवं उनके द्वारा विश्वविद्यालय से नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता शुल्क सहित शुल्क सहित प्रस्तुत आवेदन पत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	महाविद्यालय द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
(1)	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर	23–08–2013	23–12–2013
(2)	राजकीय महाविद्यालय, नोखा	23–08–2013	02–12–2013
(3)	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	29–07–2013	17–09–2013

विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालयों को आगामी सत्र में अस्थाई सम्बद्धता/सी अभिवृद्धि/नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक बिना विलम्ब शुल्क के आवेद करना होता है तथा दुगने विलम्ब शुल्क सहित प्रत्येक वर्ष 31 मई तक आवेदन प्रस्तुत करना होता है प्रबन्ध मण्डल की 12 वीं बैठक दिनांक 26–07–2010 को लिए गए निर्णयानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वत विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश 51(1) में हाल ही में हुये संशोधन निर्धारित सम्बद्धता शुल्क की ती गुना विलम्ब शुल्क के साथ नवीन महाविद्यालय सम्बद्धता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/सीट अभिवृद्धि हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक आवेदन स्वीकार किए जाने की कुलपति महोदय की पत्रावली प प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 20–07–2010 की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। साथ ह निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार से सीट अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम व अनुमति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के अन्दर विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेद प्राप्त होने पर विलम्ब शुल्क की छूट रहेगी।

प्रारम्भ उपरोक्त तीन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत नही करने के कार विश्वविद्यालय द्वारा उक्त तीन महाविद्यालयों को सत्र 2013–14 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नह की गई। तत्पश्चात निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं पदेन शासन सचिव, उच्च शिक्षा से प्राप्त पत्र क्र. एफ.4(402)आयो/निकाशि/सम्बद्धता/II/956 दिनांक 08–01–2014 के द्वारा सत्र 2013–14 राजकीय महाविद्यालय, सरदाशहर को स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत कर नवीन कक्षा एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्द विषय मे विश्वविद्यालय के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने व अनुरोध किया गया।

माननीय कुलपति महोदया की दिनांक 17–01–2014 को माननीय सदस्यों, प्रबन्ध मण्डल (प्रमुर शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सहित) से दूरभाष पर हुई वार्तानुसा सहमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की प्रत्याशा में उक्त तीनों महाविद्यालयों व निरीक्षण उपरान्त सत्र 2013–14 के लिए क्रमशः विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F.07(85)MGSUB/Acad 2013/404 dated 27-01-2014 (Govt. College, Sardarshahar), F07(85)MGSUB/Acad./2013/418 dated 27 01-2014 (Govt. MLB College, Nokha), F07(85)MGSUB/Acad./2013/434 dated 27-01-2014 (Govt. Girl College, Sriganganagar) के द्वारा नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई।

अतः प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी उपरोक्त आदेश (छायाप्रति संलग्न) प्रबन मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सत्र 2013–14 के लिए क्रमश विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F.07(85)MGSUB/Acad./ 2013/404 dated 27-01-2014 (Govt. College Sardarshahar), F07(85)MGSUB/Acad./2013/418 dated 27-01-2014 (Govt. MLB College, Nokha F07(85)MGSUB/Acad./2013/434 dated 27-01-2014 (Govt. Girls College, Sriganganagar) के द्वारा नवी अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

(1) निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ने सदन को अवगत कराया कि बीकानेर स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थाई मान्यता प्रदान होने के कारण सम्बद्धत शुल्क में छूट प्रदान की जावें। इस सुझाव पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थाई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय था जिसमें विधि संकाय को एक विभाग के रूप में स्थाई मान्यता प्राप्त थी न कि एक महाविद्यालय के रूप में। वर्तमान में राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर एक पृथक महाविद्यालय के रूप में संचालित है जिसकी अस्थाई सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि महाविद्यालय द्वारा अद्यतन सम्बद्धता शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

(2) निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ने सदन को अवगत कराया कि छात्रहित हो देखते हुए भूगोल/दर्शनशास्त्र विषय की प्रतिबंधता (Subject Combination) को समाप्त करते हुए विद्यार्थियों को दोनों विषय चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। । इस सुझाव पर सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि उक्त संशोधन हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद की बैठक में रखा जा सकता है जिस पर समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव